न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 87/2017 (225 आरटीए) अमराराम बनाम गोपाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00138)

अमराराम पुत्र श्री चेलाराम जाति पालीवाल निवासी बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 गोपाराम पुत्र श्री गंगाराम,
2 अमराराम पुत्र श्री गंगाराम,
3 मोहनराम पुत्र श्री गंगाराम,
4 सत्यनारायण पुत्र श्री गंगाराम,
5 कानुड़ी पुत्री श्री गंगाराम,
6 नारायणी पुत्री श्री गंगाराम,
7 रामलाल पुत्र श्रीकृष्ण,
8 बंशीलाल पुत्र श्रीकृष्ण,
9 अर्जुनलाल पुत्र श्रीकृष्ण,
10 मूलाराम पुत्र श्रीकृष्ण,
11 प्रेमराम पुत्र श्रीकृष्ण,
12 जगदीश पुत्र श्रीकृष्ण,
13 दिनेश पुत्र श्रीकृष्ण नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कमलादेवी पत्नी श्रीकृष्ण,
14 कौशल्या पुत्री श्रीकृष्ण,
15 कमला पुत्री श्रीकृष्ण
सभी जातियान पालीवाल निवासी बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
प्रफोर्मा पक्षकार
16 चेनाराम पुत्र श्री घमण्डाराम जाति जाट निवासी बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
17 प्रबंधक एस.बी.बी.जे शाखा पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
18 भूमिधारी जरिए तहसीलदार पीपाड़ शहर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 11.02.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 489/2016

31/8

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।
2 रेस्पो. सं. 1 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4 रेस्पो. सं. 17 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह भाटी।
5 रेस्पो. सं. 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 489/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 से 15 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 489/2016 पेश किया कि प्रार्थी सं. 1 से 6 की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि 372/1 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा एवं प्रार्थी सं. 7 से 15 की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 372 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा ग्राम बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर में स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी सुदा खेतों में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम बेनण से रामडावास कला जाने वाले आम सार्वजनिक कटाणी रास्ते के चिपते पश्चिम में स्थित मूल खसरा नं. 374 व 374/1 की मध्य माठ पर से होता हुआ प्रार्थी सं. 1 से 6 के खेत खसरा नं. 372/1 की पूर्वी सीमा के अंदर होता हुआ रास्ता प्रार्थी सं. 7 से 15 के खेत खसरा नं. 372 तक कदीमी रास्ता पीढ़ियों से चलता आया है। उक्त कदीमी रास्ता की चौड़ाई करीब 13 फीट है। उक्त कदमी रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य मार्क अ–ब–स–द दर्शाया गया है। वादग्रस्त कदमी रास्ते के उत्तर में अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि खसरा नं. 374 स्थित है एवं दक्षिणी में अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि खसरा नं. 374/1 स्थित है। खसरा नं. 374 व 374/1 की मध्य माठ पर वादग्रस्त रास्ता पीढ़ियों से विद्यमान रहा है। प्रार्थी के खेतों में आने–जाने का एवं आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही हैं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नं. 372/1 व 372 में आने जाने का सबसे नजदीकी रास्ता है। अप्रार्थीगण ने यह रास्ता बंद कर दिया है व खड्डे खोद दिए हैं। अतः प्रार्थी नियमानुसार लाल स्याही से दर्शाया वादग्रस्त रास्ता जो

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा सं. 374 व 374/1 की मध्य माठ पर स्थित है की कीमत अदा करने को प्रार्थी तैयार है। अतः वादग्रस्त रास्ते को रास्ता घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने अपने अधिवक्ता के मार्फत जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज़ मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। रेस्पो. सं. 1 से 15 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथाकथित रास्ता चाहा गया है वह नजदीकी रास्ता नहीं हैं। जबकि खसरा नं. 373 व 374 की मध्य माठ से जहां से रेस्पो. सं. 1 से 15 पीढ़ियों से आते जाते हैं वह नजदीकी रास्ता है तथा वहीं से रास्ते की मांग की जानी चाहिए थी। परंतु रेस्पो. ने मात्र अपीलांट्स को तंग व परेशान करने के लिए उनकी भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट्स द्वारा जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वह तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह अपास्त किए जाने योग्य है। रेस्पो. सं. 1 से 15 की भूमि में आने जाने हेतु कदमी रास्ता नाड़ा के पास से होता हुआ चलता है जिसका उपयोग व उपभोग रेस्पो. सं. 1 से 15 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में दिए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 19.07.2007 को गांव बेनण में लोगों द्वारा चर्चा करने पर हुई इससे पूर्व अपीलांट्स को किसी भी माध्यम से उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई। अधिवक्ता के माध्यम से अपीलांट ने दिनांक 20.07.2017 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 21.07.2017 को नकल प्राप्त हुई। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार करते हुए अपील को गुणावगुण पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5 रेस्पो. सं. 1 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलांट्स की ओर से जबाब पेश किया था कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 374 व 374/1 के मध्य माठ से होकर कभी किसी प्रकार का रास्ता नहीं रहा न प्रार्थीगण का आना जाना रहा। सारे तथ्य प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण ने यह भी जबाब में कथन किया कि प्रार्थीगण 373 व 374 की मध्य माठ से होकर आते जाते हैं तथा इस स्थान पर प्रार्थीगण के खेतों की दूरी भी कटाणी रास्ते से कम है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते का विरोध किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका जांच की जिसमें स्पष्ट है कि खसरा नं. 372 में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं अतः प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य बाबत रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। तहसीलदार ने मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 18.02.2017 में यह भी अंकित किया है कि खसरा नं. 372 प्रार्थी श्री रामलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति पालीवाल के खेत में आवागमन हेतु खसरा नं. 374 अप्रार्थी अमराराम पुत्र श्री चेलाराम जाति पालीवाल के खेत मे से उपरोक्त नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित होगा। खसरा नं. 372/1 व 372 के खातेदारों ने आपसी रजामंदी से रास्ते की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा जाहिर की। इस प्रकार प्रकरण में उसी स्थान से रास्ता दिया गया है जहां से अपीलांट/अप्रार्थीगण ने उचित बताया है। अतः अपील अपीलांट निराधार होने से खारिज योग्य है। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 17 की ओर से अधिवक्ता प्रहलादसिंह भाटी ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 17 प्रफोर्मा पक्षकार है। प्रकरण में रास्ते के नियमों के तहत रास्ता दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं तथा इस अपील प्रकरण में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 यह अपील देरी से पेश हुई है जिसके लिए अपीलांट ने धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा धारा–5 का जबाब पेश नहीं किया है तथा धारा–5 में वर्णित तथ्यों का खण्डन में काउंटर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शुमार की जाती है।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। यह रास्ता निकटतम है तथा प्रार्थीगण के खसरा नं. 372 के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्पष्ट रिपोर्ट है। अपील में अपीलांट/अप्रार्थीगण ने यह ऐतराज किया है कि खसरा नं. 373 एवं 374 की मध्य माठ से रास्ता निकटतम है जो दिया जाना चाहिए इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस ऐतराज का प्रकरण में समाधान हो चुका है क्योंकि रास्ता निकटतम दिया है। खसरा नं. 372/1 के लिए पृथक से रास्ते की आवश्यकता नहीं क्योंकि खसरा नं. 372 एवं 372/1 के खातेदारों के मध्य सहमति बन चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मैरिट पर पारित किया है। अपीलांट को कोई आपत्ति थी तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए स्वतंत्र था तथा अपीलांट की मुख्य आपत्ति थी कि निकटतम रास्ता नहीं मांगा है उसके संबंध में निराकरण हो चुका है अधीनस्थ न्यायालय ने निकटतम रास्ता ही दिया है। अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 यथावत रखा जाता है।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर